न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 238 / 2022

अनवान : –

1. कमला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
2. बिमला पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
3. बादो पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।

– वादी

बनाम्

1. श्रीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
2. मांगेराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
3. नरेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
4. रविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
5. सुशीला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. मैनेजर एचडीएफसी बैंक भादरा तहसील भादरा।
8. मैनेजर एक्सिस बैंक भादरा तहसील भादरा।
9. मैनेजर आईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग, अधिवक्ता **वादीगण**
श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 18/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा में ख0न0 24 की 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि, ख0न0 30 की 31 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 74 की 14 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 200 की 32 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 218 की 35 बीघा 19 बिस्वा कुल 130 बीघा 17 बिस्वा भूमि गंगाराम पुत्र भोमाराम की खातेदारी भूमि थी। गंगाराम के एक लड़की मोहरा व एक लड़का अमीलाल हुआ। अब अमीलाल व मोहरा दोनों ही फौत हो चुके है जो गंगाराम के जीवनकाल में ही फौत हो चुके थे।

गंगाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि में से ख0न0 200 की 32 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से दिनांक 19.10.84 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि इस खसरा की उत्तरी हिस्स की वादीया स0 1 कमला को बैचान कर दी तथा इसी ख0न0 200 की शेष दक्षिण की तरफ 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादीया स0 3 बादो को बैचान कर दी इस प्रकार से गंगाराम ने ख0न0 74 की 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीया स0 2 बिमला को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बैचार कर दी एवं जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा गंगाराम ने ख0न0 24 की 16 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपनी पुत्री मोहरा पत्नी अमीलाल के तीन लड़को श्रीराम, महावीर, और मदनलाल को बहिस्सा बराबर बैचान कर दी जिसमें श्रीराम जीवित है एवं महावीर और मदनलाल फौत हो [illegible] वारिसान प्रतिवादी स0 2 ता 5 है तथा शेष 67 बीघा 11 बिस्वा यानि 135 [illegible] रही जो ख0न0 30 की 31 बीघा 12 बिस्वा व ख0न0 218 की 35 बीघा 19 बिस्वा रही [illegible] गंगाराम की मृत्यु के [illegible] 1 / 2 हिस्सा की भूमि तो बहिब वादीयान को मिली व 1 / 2 हिस्सा [illegible] प्रतिवादीगण स0 1 [illegible] को उनके हक व हिस्सा के अनुसार प्राप्त हुई है। वादीया स0 1, 2 ,3 द्वारा उक्त वाद भूमि में से खरीद की गई भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि अलग खाता खोलकर दर्ज की जानी चाहिए थी। क्योंकि मृतक गंगाराम ने स्पेशिफिक खसरा नम्बरों की विशिष्ट भूमि का बैचान किया था। लेकिन उक्त समस्त भूमि जमाबंदी हाल के खाता स0 नया 260 व पुराना 266 में मुश्तरका दर्ज कर रखी है जो कतई गलत दर्ज कर रखी है। इस अंकन का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण की खरीदशुदा भूमि का बैचान करने पर आमाद है तथा वाद भूमि पर कब्जा काश्त भी खरीदशुदा भूमि पर वादीगण की है तथा वादीगण अपने हकुक की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीयान ने प्रतिवादीगणक को कहा कि वो उनकी खरीद शुदा खसरा नम्बरों की भूमि बैचान नही करे तथा खरीद शुदा भूमि व अन्य मुश्तरका भूमि हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक खाता विभाजन कर उनके नाम से अलग अलग दर्ज करवा देवे तो वे ऐसा करे से ईन्कार हो गये और भूमि को बैचान करने की ऐलानिया धमकी देने लगे लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर घोषणा की जावें की वाके रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खसरा न0 74 की 3.6300हैक्ट भूमि वादीया स0 2 बिमला की खरीद शुदा भूमि है तथा ख0न0 200 की 8.3210हैक्ट भूमि में से उत्तर की तरफ की आधी भूमि यानि 4.1605हैक्ट भूमि वादीया स0 1 कमला की खरीद शुदा भूमि है तथा इसी खसरा न0 में से आधी भूमि दक्षिण की तरफ 4.1605हैक्ट भूमि वादीया स0 3 बादो की खरीद शुदा भूमि है एवं ख0न0 24 की 4.0590हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 की 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 की 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी स0 3 ता 5 की1/3 हिस्सा भूमि खरीद शुदा है जो उक्त खरीददारों के नाम से अलग अलग खाता में दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ख0न0 30 की 7.9930है0 भूमि व ख0न0 218 की 9.0930हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण जमाबंदी में दर्ज वादीया स0 1 कमला का 1017/15760 हिस्सा भूमि व वादीया स0 2 बिमला का 1017/7880 हिस्सा भूमि एवं वादीया स0 3 बादो का 1017/15760 हिस्सा भूमि व ख0न0 30 व 218 की शेष बची भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम कर वादीयान व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कि जावें

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादीयान एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 74 की 3.6300हैक्ट भूमि वादीया स0 2 द्वितीय प्रथम पक्ष बिमला के पास रहेगी तथा ख0न0 200 की 8.3210हैक्ट भूमि में से उत्तर की तरफ की आधी भूमि यानि 4.1605हैक्ट भूमि वादीया स0 1 द्वितीय प्रथम पक्ष कमला के पास रहेगी एवं खसरा न0 200 की 4.1605 है भूमि दक्षिण की 4.1605हैक्ट भूमि वादीया स0 3 बादो के पास रहेगी तथा ख0न0 24 की 4.0509हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 के पास 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 के पास 1/3 हिस्सा भूमि रहेगी एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा में पूर्व दिशा की वादीया स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक्ट भूमि में से शेष 1/2 हिस्सा भूमि पूर्व पासा की प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 ता 5 के 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा वादीयान प्रथम पक्षकार स0 1 ता 3 बहिब दिखनादा पास की भूमि रहेगी एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा मे उत्तर की तरफ की प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं प्रतिवादी स0 3 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे। इसी अनुसार प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार वादग्रस्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रकरण में पक्षकारान का [illegible] के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा अनुसार खाता व लगाान अलग करवाना चाहते है। वादीगण के वाद के संबंध में पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा भी वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 260/266 की कुल 33.0960 है0 भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में पक्षकारान मुश्तरका खातेदार है। पक्षकारान मुताबिक राजीनामा अपना खाता व लगाान अलग करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण पक्षकारान के राजीनामा एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 74 की 3.6300हैक भूमि वादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 200 की 8.3210हैक भूमि में से उत्तर की तरफ की आधी भूमि यानि 4.1605हैक भूमि का वादीया स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा न0 200 की 4.1605 है भूमि दक्षिण की 4.1605हैक भूमि वादीया स0 3 को खातेदार काश्तकार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 24 की 4.0590 हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी स0 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा में पूर्व दिशा की वादीया स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक भूमि में से शेष 1/2 हिस्सा भूमि आथूणा पासा का प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 ता 5 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण स0 1 ता 3 को बहिब दिखनादा पास की भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा मे उत्तर की तरफ की प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी स0 3 ता 5 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 238 / 2022
अनवान : –

1. कमला पत्नी महावीर जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
2. बिमला पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
3. बादो पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी केहरवाली तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।

– वादी

बनाम्

1. श्रीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
2. मांगेराम पुत्र महावीर जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
3. नरेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
4. रविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)
5. सुशीला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी रामपूराढ़िला तहसील चौपटा जिला सिरसा (हरि0)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
7. मैनेजर एचडीएफसी बैंक भादरा तहसील भादरा।
8. मैनेजर एक्सिस बैंक भादरा तहसील भादरा।
9. मैनेजर आईसीआई बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 238 सन 2023 निर्णय दिनांक......18/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिहाग व वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 74 की 3.6300हैक भूमि वादीया स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 200 की 8.3210हैक भूमि में से उत्तर की तरफ की आधी भूमि यानि 4.1605हैक भूमि का वादीया स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा न0 200 की 4.1605 है भूमि दक्षिण [illegible] 605हैक भूमि वादीया स0 3 को खातेदार काश्तकार काश्तकार घोषित किया [illegible] .0590 हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी स0 2 को 1/[illegible] हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाता है एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा में पूर्व दिशा की वादीया स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 30 की 7.9930हैक्‍ भूमि में से शेष 1/2 हिस्सा भूमि आथूणा पासा का प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 ता 5 को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादीगण स0 1 ता 3 को बहिब दिखनादा पास की भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं ख0न0 218 की 9.0930 हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा मे उत्तर की तरफ की प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी स0 3 ता 5 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....18/10/23.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:05:38 IST
Reason: SelfAttested